फार्म-1 (घोषणा पत्र का फार्म) भरने के लिए निर्देश

कालम -1 केवल आर.एन.आई द्वारा सत्यापित शीर्षक का ही समाचारपत्र के शीर्षक के रुप में उल्लेख करें। शीर्षक के भाग के रुप में आर्टिकल, (ए.एन.दि) आवधिकता, भाषा इत्यादि आगे या पीछे जोड़ने से बचें। उदाहरणार्थ आर.एन.आई द्वारा सत्यापित अंग्रेजी दैनिक शीर्षक ग्रीन के रुप में दर्शाया जाना चाहिए न कि दि ग्रीन, ग्रीन दैनिक अथवा **ग्रीन** अंग्रेजी दैनिक।

कालम-2 आर.एन.आई द्वारा यथा सत्यापित भाषा का स्पष्ट उल्लेख करें। द्विभाषी, बहुभाषी इत्यादि जैसे विशेषण के प्रयोग से बचे।

कालम-3 (ए) आर.एन.आई द्वारा सत्यापित आवधिकता का ही केवल उल्लेख करें। ऐसे मामले में जहां प्रकाशक कुछ कारण से सत्यापित समाचार पत्र की आवधिकता आर.एन.आई द्वारा सत्यापित आवधिकता से कुछ और बदलना चाहते हैं तो ऐसे में इस कॉलम के विरुद्ध वांछित आवधिकता का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए तथा कालम 11 में कारण का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

कालम-3 (ख) दिन के पहर का उल्लेख किया जाना चाहिए। दैनिक के लिए प्रात:कालीन जिसका प्रसार प्रात:कालीन के लिए किया गया है सायं का ऐसे मामले में उल्लेख करे जिसके प्रसार में सायं किए जाने का उल्लेख हो।

कालम-3 (ग) आवधिक के मामले में जहां पाक्षिक अथवा बार बार प्रकाशित होते हो ऐसे में तारीख/सप्ताह/माह जिसमें आवधिक का प्रकाशन किया जाना है, का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ पाक्षिक का प्रथम दिवस, माह का दूसरा दिन इत्यादि।

कालम-4 प्रकाशित समाचारपत्र की एकल प्रति का मूल्य खुदरा विक्रय मूल्य होता है उक्त का उल्लेख भारतीय मुद्रा में किया जाना चाहिए।

कालम-4 (ए) यदि आवधिक का प्रकाशन मुफ्त वितरण के लिए है तो ऐसे में मुफ्त वितरण हेतु के रुप में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

कालम-4 (ख) भारतीय मुद्रा में वार्षिक मूल्य के दर का उल्लेख करें।

कालम-5 <u>प्रकाशक व्यक्ति विशेष को घोषित करता है</u>। ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख करें जो प्रकाशन के प्रकाशक के रुप में कार्य करता हो अथवा स्वामी के द्वारा प्रकाशक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उदाहरणार्थ ए बी सी अथवा विनोद पब्लिशर्स अथवा विनोद पब्लिकेशन्स की ओर से VINOD KUMAR ना कि Vinod Kumar।

राष्ट्रीयता के कालम में भारतीय को भारतीय के रुप में उल्लेख किया जाना चाहिए ना कि हिंदुस्तानी अथवा Indian, Hindu, Muslim] Sikh] Christian! राष्ट्रीयता के एक भाग के रुप में धर्म को आगे या पीछे जोड़ने से बचना चाहिए।

पोस्टल कोड के साथ प्रकाशक के पूर्ण पते का उल्लेख किया जाना चाहिए। पता के एक भाग के रुप में पोस्ट बाक्स संख्या का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

कालम-5 (क) हां का उल्लेख करें यदि प्रकाशक भारतीय हो अन्यथा नहीं का उल्लेख करें।

कालम-5 (ख) ऐसे मामले में जहां प्रकाशक भारतीय मुल का नहीं है तो प्रकाशक की राष्ट्रीयता का उललेख करें उदाहरणार्थ अमेरिकी, जापानी,जर्मन, इत्यादि।

कालम-5 (ग) ऐसे मामले में जहां प्रकाशक प्रकाशन का स्वामी नहीं है वहां पी आर बी अधिनियम 1867 की धारा 5 के तहत प्रकाशक द्वारा घोषणा करने के लिए स्वामी द्वारा एक लिखित प्राधिकरण पत्र देना अनिवार्य है।

कालम-6 कृपया पूरा पता का उल्लेख करें जहां से समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा है।
पता में मकान/गली संख्या, सड़क/क्षेत्र, शहर का नाम, जिले का नाम पोस्टल कोड तथा राज्य जैसे विवरणों का उल्लेख होना चाहिए। पता के एक भाग के रुप में पोस्ट बॉक्स संख्या दर्शाए जाने से बचना चाहिए।

कालम-7 प्रिंटर का अर्थ एकल/व्यक्ति होता है। कृपया ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख करें जो प्रकाशन के प्रिंटर के रुप मे कार्य करता हो अथवा स्वामी द्वारा प्रिंटर के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उदाहरणार्थ VINOD KUMAR कि ABC PRINTERS अथवा ABC PRINTERS का स्वामी/कीपर VINOD KUMAR नोट: प्रिंटर नहीं हैं कि अनिवार्य रूप से प्रिंटिंग प्रेस का कीपर/स्वामी हो।

राष्ट्रीयता के कालम में भारतीय को भारतीय के रुप में उल्लेख किया जाना चाहिए ना कि हिंदुस्तानी अथवा Indian, Hindu, Muslim] Sikh] Christian! राष्ट्रीयता के एक भाग के रुप में धर्म को आगे या पीछे जुड़ने से बचना चाहिए।

कालम-7 (क) हां का उल्लेख करें यदि प्रकाशक भारतीय हो अन्यथा नही का उल्लेख करें।

कालम-7 (ख) ऐसे मामले में जहां प्रिंटर भारतीय नहीं है तो प्रकाशक की राष्ट्रीयता का उल्लेख करें उदाहरणार्थ अमेरिकी, जापानी,जर्मन, इत्यादि।
पोस्टल कोड के साथ प्रिंटर का पूरा पता उल्लिखित होना चाहिए। पता के एक भाग के रूप में पोस्ट बाक्स का संख्या का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

कालम-8 प्रिंटिंग प्रेस का अर्थ होता है वह प्रिंटिंग मशीनरी की संपूर्ण इकाई जहां समाचार पत्र का प्रिंटिग का कार्य किया जाता है। प्रकाशन के ऐसे मामले में जिसमें समाचार पत्र के मुद्रण के लिए कई प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग होता है तो ऐसे अधिकतम तीन प्रिंटिंग प्रेस के नाम दर्शाए जाए। परिसर का पूर्ण विवरण/पता जहां प्रिंटिंग प्रेस संस्थापित है, का उल्लेख करें। ऐसे पते में मकान/गली संख्या, सड़क/क्षेत्र, शहर का नाम, जिले का नाम पोस्टल कोड तथा राज्य जैसे विवरणों का उल्लेख होना चाहिए। पता के एक भाग के रुप में पोस्ट बॉक्स संख्या दर्शाए जाने से बचना चाहिए।

कालम-9 संपादक के रुप में व्यक्ति विशेष का नाम का उल्लेख करें। **पी.आर.बी. अधिनियम, 1867 के अधीन संपादक वह व्यक्ति होता है जो समाचार पत्र में छपने वाले विषय वस्तु के चयन पर नियंत्रण रखता है)**। अन्य संज्ञाओ अर्थात् मुख्य संपादक, प्रबंध संपादक, निवासी संपादक आदि संज्ञाओ से बचे। राष्ट्रीयता के कालम में भारतीय को INDIAN के रुप में उल्लेख किया जाना चाहिए ना कि हिंदुस्तानी अथवा **Indian, Hindu, Muslim] Sikh] Christian!** राष्ट्रीयता के एक भाग के रुप में धर्म को आगे या पीछे जोडने से बचना चाहिए।

9 (क) **हां** का उल्लेख करें यदि प्रकाशक भारतीय मुल का हो अन्यथा नही का उल्लेख करें।

9-(ब) ऐसे मामले में जहां संपादक भारतीय नहीं है तो प्रकाशक की राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।

9 (ख) ऐसे मामले में जहां संपादक भारतीय नहीं है तो प्रकाशक की राष्ट्रीयता का उल्लेख करें उदाहरणार्थ **अमेरिकी, जापानी,जर्मन**, इत्यादि।
पोस्टल कोड के साथ प्रिंटर का पूरा पता उल्लिखित होना चाहिए। पता के एक भाग के रूप में पोस्ट बाक्स का संख्या का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

कालम-(10) एकल//कंपनी के नाम का उल्लेख करें जिसके नाम पर समाचारपत्र सत्यापित/पंजीकृत किया गया है।

कालम-10 (क) एकल का उल्लेख करें जहां समाचारपत्र का स्वामी एक व्यक्ति/एकल है। कंपनी के स्वामित्व वाले समाचारपत्र के मामले में फर्म/कंपनी/ट्रस्ट/संगठन का उल्लेख करें।

कालम-10 (ख) ऐसे मामले जहां स्वामी कोई अन्य समाचारपत्र का स्वामित्व करता है, स्पष्ट रूप से ऐसे समाचारपत्रों के शीर्षक, भाषा एवं आवधिकता तथा प्रकाशन का स्थान का उल्लेख करें।

कालम-11 (क) नए पंजीकरण के लिए ' **नए समाचारपत्र** का उल्लेख करें'।

कालम-11 (ख) संशोधित पंजीकरण के लिए **विद्यमान समाचारपत्र** का उल्लेख करें।

कालम-11 (ग) नया घोषणा पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त कारणों का स्पष्ट उल्लेख करें।
उदाहरण के लिए **स्वामी/प्रकाशक/प्रिंटर/संपादक का परिवर्तन इत्यादि।** (जैसा भी मामला हो)

नोट:

- घोषणा पत्र दाखिल/हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि उनका नाम अथवा पदनाम उचित रुप से उल्लिखित है। **(ऐसे घोषणा करने का अधिकार पी.आर.बी.अधिनियम के तहत केवल प्रकाशक अथवा प्रिंटर को है)।**
- घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा दर्शाए गए अन्य पदनाम अर्थात प्रबंध निदेशक, मालिक महा सचिव आदि शब्द से बचें। अधिप्रमाणन प्राधिकारी (डीएम, एडीएम,आरडीओ, जेसीपी इत्यादि) के उचित सील/मोहर/हस्ताक्षर तथा अधिप्रमाणन की तारीख के बिना किया गया घोषणा अमान्य होगा।
- पी आर बी अधिनियम, 1867 के अधीन ऐसे मामले में जहां प्रकाशक व प्रिंटर अलग अलग व्यक्ति है तो प्रिंटर द्वारा अलग घोषणा पत्र दाखिल करना अनिवार्य है।